NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 28-07-2026

विषय सूची

सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल

सार्वजनिक प्रदर्शनों से निपटने हेतु पुलिस के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा सर्वोच्च न्यायालय

भारत का खेल पारितंत्र

केरल में चाय की पत्तियों का ड्रोन-आधारित परिवहन

शहरी सहकारी बैंक: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुनः आरम्भ

यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति (NIPU)-2026

संक्षिप्त समाचार

हेपेटाइटिस से मुकाबले की भारत की लड़ाई

कॉर्पोरेट मित्र योजना

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) का डार्क वेब पर आँकड़ा लीक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केन्द्रों से वर्ष 2031-32 तक 26.3 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत भार जुड़ेगा: विद्युत मंत्रालय

किमी K3

सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल

सन्दर्भ

- उत्तर प्रदेश स्थित भारत के **प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ** को **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची** में शामिल (अंकित) किया गया है।

परिचय

- यह निर्णय **दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र की बैठक** के दौरान लिया गया।
- विश्व धरोहर सूची में **45 स्थलों के साथ भारत, विश्व में छठे तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान** पर है।
- इससे पहले **वर्ष 2024 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य** (Maratha Military Landscapes) को इस सूची में शामिल किया गया था।

विश्व धरोहर अभिसमय

- यूनेस्को ने **1972 में विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण संबंधी अभिसमय** (World Heritage Convention) को अपनाया, जो **1975 में प्रभावी** हुआ।
- भारत ने **1977 में इस अभिसमय का अनुमोदन** (Ratification) किया।
- **अभिसमय का उद्देश्य:**
  - विश्व की असाधारण सार्वभौमिक महत्ता (Outstanding Universal Value - OUV) वाली सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों की पहचान करना, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उन्हें प्रस्तुत करना तथा भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना।
  - धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सहायता को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - यह विश्व धरोहर स्थलों की पहचान एवं संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

धरोहर स्थलों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- **सांस्कृतिक धरोहर**: स्मारक, भवनों के समूह, पुरातात्त्विक स्थल एवं सांस्कृतिक परिदृश्य।
- **प्राकृतिक धरोहर**: प्राकृतिक विशेषताएँ, भूवैज्ञानिक संरचनाएँ, संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास तथा असाधारण प्राकृतिक सौन्दर्य वाले क्षेत्र।
- **मिश्रित धरोहर**: ऐसे स्थल जिनका सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों दृष्टियों से महत्त्व हो।
- जो देश इस अभिसमय का अनुमोदन करते हैं, उन्हें राज्य पक्ष (States Parties) कहा जाता है और वे अपने क्षेत्र में स्थित धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
- इस अभिसमय का **क्रियान्वयन विश्व धरोहर समिति द्वारा** किया जाता है, जिसमें **यूनेस्को महासम्मेलन द्वारा निर्वाचित 21 राज्य पक्ष** शामिल होते हैं।

कार्य:

- स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना।
- संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची (List of World Heritage in Danger) का रख-रखाव करना।
- सूचीबद्ध स्थलों के संरक्षण की स्थिति की निगरानी करना।
- वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु विश्व धरोहर कोष (World Heritage Fund) का प्रबंधन करना।

विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के मानदंड:

- किसी स्थल में असाधारण सार्वभौमिक महत्ता (OUV) होनी चाहिए।
- उसे चयन के 10 मानदंडों में से कम-से-कम एक को पूरा करना चाहिए, जिनमें 6 सांस्कृतिक एवं 4 प्राकृतिक मानदंड हैं।
- वह **मानव की रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व** करता हो।

सारनाथ का परिचय

- स्थान: यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित है।
- यह बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। (अन्य: लुंबिनी, बोधगया और कुशीनगर)

ऐतिहासिक महत्त्व:

- बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश (लगभग 528 ईसा पूर्व) दिया।
- इस घटना को धम्मचक्रप्रवर्तन (Dhammachakrapravartana) अथवा धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
- इसी के साथ बौद्ध संघ (भिक्षु समुदाय) की स्थापना हुई तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों की आधारशिला रखी गई।

स्मारक एवं संरचनाएँ:

- **धमेख स्तूप**: इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और यह बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनाया गया।
- **चौखंडी स्तूप**: यह उस स्थान को चिह्नित करता है जहाँ बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे।
- **अशोक स्तंभ**: इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने कराई थी। इसका सिंह शीर्ष वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।

- **मठ एवं अवशेष**: यहाँ प्राचीन विहारों, मंदिरों तथा मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं।

सम्राट अशोक का योगदान:

- सम्राट अशोक ने **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व** में सारनाथ का भ्रमण किया।
- उन्होंने यहाँ स्तूपों, मठों का निर्माण कराया तथा धर्म के प्रचार हेतु शिलालेख स्थापित किए।
- सारनाथ का अशोक सिंह शीर्ष **वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक** के रूप में अपनाया गया।

महत्त्व

- विश्व धरोहर का दर्जा **भारत की बौद्ध धर्म की जन्मस्थली के रूप में पहचान को और सुदृढ़** करेगा तथा जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया आदि देशों के साथ भारत की **सांस्कृतिक कूटनीति** को मजबूत करेगा।
- यह मान्यता **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सेतु के रूप में भारत की बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के प्रयासों को और सशक्त करेगी** तथा धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता को भी वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगी।

स्रोत: TH

सार्वजनिक प्रदर्शनों से निपटने हेतु पुलिस के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा सर्वोच्च न्यायालय

सन्दर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से निपटने के संबंध में पुलिस के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है। न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार करते हुए कानून-प्रवर्तन करने वाले कर्मियों के जीवन के महत्त्व पर भी बल दिया।

पृष्ठभूमि

- यह आदेश नीट (NEET) परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के बाद छात्रों द्वारा देशभर में किए गए प्रदर्शनों के दौरान **पुलिस की कथित ज्यादतियों से संबंधित याचिकाओं के पश्चात पारित** किया गया।
- याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शनों के दौरान **पुलिस की कार्रवाई को विनियमित करने तथा बल के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानकों की मांग** की।
- न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए तथा वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

विरोध के अधिकार का संवैधानिक आधार

- संविधान में **"विरोध का अधिकार"** का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु यह कई मौलिक अधिकारों से व्युत्पन्न है:
- **अनुच्छेद 19(1)(क):** वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 19(1)(ख)**: शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 19(1)(ग):** संघ या संगठन बनाने का अधिकार।
- हालांकि, ये अधिकार निम्नलिखित युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन हैं:
- **अनुच्छेद 19(2):** भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार आदि के हित में।
- **अनुच्छेद 19(3):** लोक व्यवस्था तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में शांतिपूर्ण सभा पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

सार्वजनिक अशांति से निपटने की चुनौतियाँ

- **शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों** और प्रदर्शनों में घुसपैठ करने वाले हिंसक या असामाजिक तत्वों के बीच अंतर करना।
- विशेषकर बड़े प्रदर्शनों के दौरान मौलिक स्वतंत्रताओं से समझौता किए बिना **लोक व्यवस्था बनाए रखना।**
- सामाजिक माध्यमों पर फैलने वाली **भ्रामक सूचनाओं एवं अफवाहों से निपटना**, जो शीघ्र ही जनभावनाओं को भड़का सकती हैं।
- लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन अवसंरचना तथा आर्थिक गतिविधियों में **व्यवधान को रोकना।**
- जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में प्रदर्शनकारियों एवं **पुलिसकर्मियों दोनों के जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
- **वर्तमान भीड़-नियंत्रण साधनों**, जैसे बॉडी कैमरा, निगरानी प्रणाली तथा गैर-घातक प्रौद्योगिकियों **की सीमित उपलब्धता।**
- **पुलिस बल में कर्मियों की कमी** तथा विशेषज्ञ प्रशिक्षण का अभाव।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- **रामलीला मैदान प्रकरण (2012):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध एक मूल अधिकार है, सोने की स्वतंत्रता **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है तथा आधी रात को सो रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई अवैध है।

- **मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018)**: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(क) एवं अनुच्छेद 19(1)(ख)** के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंध युक्तिसंगतता, आवश्यकता तथा आनुपातिकता की संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरने चाहिए।
- **अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020):** न्यायालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। इस निर्णय में शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार तथा आम जनता के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया गया।
- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)**: न्यायालय ने मनमानी गिरफ्तारी, निरोध तथा अभिरक्षा में उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक मानक निर्धारित किए। न्यायालय ने कहा कि पुलिस शक्तियों का प्रयोग विधि के शासन तथा **अनुच्छेद 21** के अनुरूप होना चाहिए।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस हेतु **देशव्यापी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** तैयार की जाए।
- भीड़-नियंत्रण कार्यों में आवश्यकता, **आनुपातिकता तथा न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धांतों** को अपनाया जाए।
- **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ** (2006) में पुलिस सुधार, परिचालन स्वायत्तता एवं जवाबदेही संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ किया जाए।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम पुलिसिंग को बढ़ावा** दिया जाए, जिसमें शरीर पर धारण किए जाने वाले कैमरे (Body-Worn Cameras), ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी तथा डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन शामिल हों।
- पुलिस को वार्ता, मध्यस्थता, तनाव-न्यूनन (De-escalation) रणनीतियों, मानवाधिकारों तथा **सामुदायिक पुलिसिंग के विषय में बेहतर प्रशिक्षण** प्रदान किया जाए।

स्रोत: TH

भारत का खेल पारितंत्र

सन्दर्भ

- नीतिगत सुधारों, अवसंरचना विकास, जमीनी स्तर की प्रतिभाओं के प्रोत्साहन तथा बढ़ते निवेश के कारण भारत का खेल परिदृश्य तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

भारत में खेलों का विकास

- भारत का खेल इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। **महाभारत, रामायण, मानसोल्लास तथा मल्लपुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में धनुर्विद्या, मल्लयुद्ध (कुश्ती), घुड़सवारी, तैराकी, शिकार तथा चतुरंग (शतरंज)** का उल्लेख मिलता है।
- **मध्यकाल** में मुगल शासकों को **चौगान (पोलो), शतरंज, चौपड़ (लूडो) तथा शिकार** का विशेष शौक था। इस काल में कुश्ती भी अत्यंत लोकप्रिय रही।
- **ब्रिटिश शासन** के दौरान **क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ तथा** अन्य आधुनिक खेल भारत में आए, जिससे संगठित खेल संस्कृति का विकास हुआ।
- **स्वतंत्रता आंदोलन** के दौरान खेल राष्ट्रवाद के प्रतीक भी बने, जैसे कि **मोहन बागान** की एक ब्रिटिश रेजिमेंट के विरुद्ध ऐतिहासिक फुटबॉल विजय।
- **स्वतंत्रता के बाद** भारत ने अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, **जैसे 1948 में ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी, तथा अंतरराष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी।**

वैश्विक खेल मंच पर भारत का उभार

ओलंपिक खेल:

- वर्ष **2016 से 2024** के बीच भारत की ओलंपिक यात्रा में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला।
- **रियो 2016** में भारत ने **2 पदक** जीते, जो **टोक्यो 2020** में बढ़कर **7 पदक** हो गए। **पेरिस 2024** में भी भारत ने **6 पदक** जीतकर इस प्रदर्शन को बनाए रखा।
- **नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020** में ओलंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने।
- **मीराबाई चानू** भी भारत की **सबसे निरंतर प्रदर्शन** करने वाली ओलंपिक पदक विजेताओं में शामिल रहीं।

पैरालंपिक खेल:

- पिछले तीन संस्करणों में भारत के पैरालंपिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **रियो 2016** में भारत ने **4 पदक** जीते, जो **टोक्यो 2020** में बढ़कर **19 पदक** हो गए।
- **पेरिस 2024** भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक अभियान रहा, जिसमें भारत ने **29 पदक** जीते।
- **अवनि लेखरा, सुमित अंतिल तथा प्रमोद भगत** देश के प्रमुख प्रदर्शनकर्ताओं में रहे।
- **टार्गेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)** तथा **खेलो इंडिया पैरा गेम्स** जैसी योजनाओं ने पैरा खिलाड़ियों को मजबूत समर्थन प्रदान किया है।

एशियाई खेल:

- भारत ने बड़े दलों की भागीदारी तथा बेहतर पदक प्रदर्शन के माध्यम से एशियाई खेलों में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है।
- **इंचियोन 2014** में भारत ने **57 पदक** जीते, जो **जकार्ता 2018** में बढ़कर **69 पदक** हो गए।

राष्ट्रमंडल खेल:

- राष्ट्रमंडल खेलों में भारत लगातार सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा है।
- **ग्लासगो 2014** में भारत ने **64 पदक** जीते, जो **गोल्ड कोस्ट 2018** में बढ़कर **66 पदक** हो गए।
- इसके बाद **बर्मिंघम 2022** में भारत ने **61 पदक** जीते।
- **कुश्ती, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन तथा एथलेटिक्स** ने भारत की सफलता में लगातार महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **पी. वी. सिंधु, विनेश फोगाट तथा अचिंता शेउली** देश के प्रमुख प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहे।
- **राष्ट्रमंडल खेल 2026** का **आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026** तक **ग्लासगो** में किया जा रहा है। इसमें **74 देशों के खिलाड़ी 10 खेलों** में भाग ले रहे हैं, जिनमें **6 पूर्णतः एकीकृत पैरा खेल** भी शामिल हैं। भारत ने **124 सदस्यीय दल** भेजा है, जिसमें **78 पुरुष और 46 महिलाएँ** शामिल हैं। 27 जुलाई 2026 तक भारत ने **4 पदक** जीते हैं: **1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य।**
- **मीराबाई चानू** ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए **लगातार तीसरा स्वर्ण पदक** जीता।
- **झांडू कुमार, ऋषिकांत सिंह और मुथुपांडी राजा** ने क्रमशः **कांस्य, रजत और रजत** पदक जीतकर भारत की पदक संख्या में वृद्धि की।

सुदृढ़ खेल पारितंत्र का महत्त्व

- **जनसांख्यिकीय लाभांश एवं सशक्तिकरण**: खेल भारत की विशाल युवा आबादी के लिए एक सकारात्मक माध्यम है तथा यह मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन को बढ़ावा देता है।
- **आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन**: खेल आयोजन प्रबंधन, खेल प्रौद्योगिकी, फिजियोथेरेपी, खेल चिकित्सा, विनिर्माण तथा खेल विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं।
- **सॉफ्ट पावर**: अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किसी भी देश के लिए एक महत्त्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का साधन है तथा राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ करता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार**: जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देकर गैर-संचारी रोगों (NCDs) में कमी लाई जा सकती है तथा अधिक स्वस्थ कार्यबल का निर्माण किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं ?

- **खेल राज्य सूची का विषय** होने के कारण देश में खेलों के संवर्धन एवं विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की होती है।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (जिसमें अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित दायित्व भी शामिल हैं) यह विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सरकार की विभिन्न पहलें

खेलो इंडिया योजना

- भारतीय खेलों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से **2017 में खेलो इंडिया योजना प्रारंभ** की गई।
- इस योजना के अंतर्गत पहले से चल रही तीन योजनाओं को एकीकृत किया गया। **राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना** को मिलाकर खेल विकास के लिए एक **समेकित ढाँचा** तैयार किया गया।

- **टार्गेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS):** भारत के ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2014 में प्रारंभ की गई। अप्रैल 2018 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया तथा खिलाड़ियों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित तकनीकी सहायता दल का गठन किया गया।
- **TOPS के अंतर्गत** खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, प्रशिक्षण शिविर, विशेष खेल उपकरण तथा ₹50,000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (KIRTI) पहल:** 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान कर उनका विकास किया जाता है।

- **केंद्रीय बजट 2026–27:** खेल सामग्री निर्माण के लिए ₹500 करोड़ के आवंटन के साथ एक समर्पित पहल की घोषणा की गई।
- **राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025:** खिलाड़ियों के कल्याण तथा खेल प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए सुरक्षित खेल नीति (Safe Sports Policy), आचार संहिता (Code of Ethics) तथा आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य किया गया है।
- **खेलो भारत नीति, 2025:** विकसित भारत के लक्ष्य तथा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की भारत की महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप खेलों को जन आंदोलन तथा व्यवहार्य करियर के रूप में विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त):** इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं।
- **मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना:** सेवानिवृत्त अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹12,000 से ₹20,000 प्रतिमाह तक पेंशन प्रदान की जाती है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कार्यक्रम:** चिकित्सा उपचार, खेल उपकरण तथा प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF):** खेल अवसंरचना तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकारी वित्तपोषण के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र, अनिवासी भारतीयों (NRIs) तथा परोपकारियों से योगदान आमंत्रित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (NCSSR):** 2017 में स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, चोटों की रोकथाम, पुनर्वास तथा प्रदर्शन में सुधार को अनुसंधान एवं संस्थागत सहयोग के माध्यम से बढ़ावा देना है।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचना संबंधी समस्याएँ**: महानगरों एवं उत्कृष्ट खेल केंद्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तथा टियर-2/टियर-3 शहरों में मानकीकृत उपकरणों एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सीमित है।
- **शासन संबंधी चिंताएँ**: कुछ राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) में पारदर्शिता की कमी, न्यायिक विवाद तथा पेशेवर प्रबंधन के अभाव के कारण खिलाड़ियों के लिए सहायता एवं विकास कार्यक्रमों में विलंब होता है।
- **कौशल संबंधी कमी**: भारत में अभी भी उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षकों, बायोमैकेनिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिकों तथा पोषण विशेषज्ञों की कमी है, जिसके कारण महंगे विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **सामाजिक सोच एवं रोजगार सुरक्षा**: क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को अभी भी पारंपरिक शैक्षणिक मार्गों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से जोखिमपूर्ण करियर माना जाता है, यद्यपि यह धारणा धीरे-धीरे बदल रही है।

सुधार के सुझाव

- **सहयोग बढ़ाया जाए**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत खेलों को मुख्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि बचपन से ही मजबूत प्रतिभा आधार विकसित हो सके।
- **पेशेवर खेल प्रशासन:** सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों में खिलाड़ियों का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व, पारदर्शी वित्तीय लेखा-परीक्षण तथा पेशेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- **अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए**: चिकित्सा विश्वविद्यालयों के सहयोग से क्षेत्रीय खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए, ताकि स्थानीय शारीरिक प्रशिक्षकों, फिजियोथेरेपिस्टों तथा प्रदर्शन विश्लेषकों को प्रशिक्षित किया जा सके।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)**: निजी कंपनियों को विभिन्न खेलों के प्रायोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे खेलों को दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग प्राप्त हो सके।

स्रोत: PIB

केरल में चाय की पत्तियों का ड्रोन-आधारित परिवहन

सन्दर्भ

- एक चाय कंपनी ने केरल के इडुक्की में ताज़ी तोड़ी गई हरी चाय की पत्तियों को चाय बागानों से तौल केंद्रों एवं प्रसंस्करण कारखानों तक पहुँचाने के लिए ड्रोन-आधारित परिवहन का उपयोग प्रारंभ किया है।

परिचय

- ड्रोन चाय की पत्तियों को बागानों से **5–10 किमी** की दूरी तक तौल केंद्रों एवं कारखानों तक पहुँचा सकते हैं।
- इसका उद्देश्य **ईंधन लागत कम करना, मैनुअल श्रम को घटाना, श्रमिकों की कमी की समस्या का समाधान करना तथा प्रसंस्करण की गति बढ़ाना** है, जिससे चाय की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- यह पहल भारत के चाय क्षेत्र में **परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture), डिजिटल परिवर्तन तथा सतत बागान प्रबंधन** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

भारत का चाय उद्योग

- भारत में **15 राज्यों में चाय की खेती** की जाती है। असम, **पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल** प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जबकि **त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं कर्नाटक** स्थापित किंतु अपेक्षाकृत छोटे उत्पादक हैं।
- **गैर-पारंपरिक नए चाय उत्पादक राज्य**: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम।
- भारत **विश्व का सबसे बड़ा काली चाय (Black Tea) उत्पादक** एवं उपभोक्ता है।
- कुल चाय उत्पादन में **भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है तथा 2024 में विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक** रहा।
- **प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र:** असम (असम घाटी, कछार) तथा पश्चिम बंगाल (डुआर्स, तराई, दार्जिलिंग)।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा**: भारतीय चाय, विशेषकर असम, दार्जिलिंग एवं नीलगिरि की चाय, अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है।
- **भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य**: संयुक्त अरब अमीरात, इराक, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सऊदी अरब तथा तुर्की।

सरकारी योजनाएँ

चाय विकास एवं संवर्धन योजना (TDPS)

- इसका क्रियान्वयन भारतीय चाय बोर्ड (Tea Board of India) द्वारा **15वें वित्त आयोग (2021–2026)** के अंतर्गत किया जा रहा है।

लघु चाय उत्पादकों के लिए बागान विकास योजना (PDSTG)

- इसके अंतर्गत क्षेत्रीय मशीनीकरण पर अनुदान दिया जाता है, जैसे—
- छंटाई मशीनों पर ₹30,000 तक का अनुदान।
- यांत्रिक चाय कटाई मशीनों पर ₹40,000 तक का अनुदान।
- पावर स्प्रेयर पर सहायता।
- साथ ही जैविक प्रमाणन एवं मृदा परीक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

चाय उद्योग की चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन**: बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा तथा चरम मौसम की घटनाएँ चाय की उपज एवं गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।
- **श्रमिकों की कमी:** बागानों में श्रमिकों की उपलब्धता घटने से मशीनीकरण तथा प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता बढ़ गई है।
- **कम लाभप्रदता**: बढ़ती उत्पादन लागत, चाय के कम मूल्य तथा पुराने चाय पौधों के कारण उत्पादकों का लाभ घट रहा है।
- **कीट एवं सतत कृषि संबंधी चुनौतियाँ:** कीटों का बढ़ता प्रकोप, अवशेष प्रबंधन की समस्याएँ तथा टिकाऊ खेती की आवश्यकता।
- **व्यापार एवं बाजार संबंधी चुनौतियाँ**: कम लागत वाले उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा, परिवहन संबंधी बाधाएँ तथा गैर-शुल्कीय अवरोधों के कारण निर्यात प्रभावित होता है।

चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ

- चाय का पौधा **उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय** जलवायु में अच्छी तरह विकसित होता है। इसे **पूरे वर्ष गर्म, आर्द्र तथा पाले से मुक्त जलवायु** की आवश्यकता होती है।
- **मिट्टी**: गहरी, उपजाऊ, अच्छी जल-निकासी वाली तथा ह्यूमस एवं जैविक पदार्थों से समृद्ध मिट्टी उपयुक्त होती है।
- **तापमान**: चाय के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए औसत वार्षिक तापमान **15°C से 23°C** के बीच होना चाहिए।
- **वर्षा**: लगभग **150–200 सेमी वर्षा** आवश्यक होती है। वर्षभर समान रूप से होने वाली नियमित वर्षा कोमल पत्तियों की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती है।

भारतीय चाय बोर्ड

- इसकी स्थापना **चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत 1954 में एक वैधानिक निकाय** के रूप में की गई।
- इसका उद्देश्य भारतीय **चाय उद्योग का विनियमन** करना तथा भारत के चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।
- भारत के सभी **चाय उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादित चाय का प्रशासन** चाय बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- बोर्ड में **अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित कुल 32 सदस्य** होते हैं, जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है और जो चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- चाय बोर्ड का **मुख्यालय कोलकाता** में स्थित है।

स्रोत: TH

शहरी सहकारी बैंक: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुनः प्रारंभ

सन्दर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वर्ष 2004 से जारी विराम के बाद शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए नए लाइसेंस जारी करने की अनुमति देने की तैयारी में है।

प्रस्ताव में क्या शामिल है?

- **न्यूनतम पूंजी आवश्यकता**:आरबीआई ने नए आवेदकों के लिए ₹300 करोड़ की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का सुझाव दिया है, जो पहले शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित पूंजी आवश्यकता की तुलना में काफी अधिक है।
- **पात्रता का मार्ग**: बिल्कुल नए बैंक स्थापित करने की अनुमति देने के बजाय, प्राथमिकता रूपांतरण (Conversion) को दी जाएगी, जिसके अंतर्गत बड़े एवं सुचारु रूप से संचालित सहकारी ऋण समितियों को पूर्ण शहरी सहकारी बैंक (UCB) में परिवर्तित किया जाएगा।
- **वित्तीय सुदृढ़ता के मानदंड**: केवल वित्तीय रूप से मजबूत संस्थाओं, जिनका शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Net NPA) स्तर 3% से कम हो, को ही लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है।
- **सहायक पारितंत्र**: इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए आरबीआई ने एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना भी की है, जो इस क्षेत्र को पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा साझा विशेषज्ञता के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगा।

शहरी सहकारी बैंक (UCBs) क्या हैं?

- शहरी सहकारी बैंक (UCBs) **सदस्य-स्वामित्व वाले तथा लोकतांत्रिक ढंग से संचालित बैंक** हैं, जो शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों, वेतनभोगी कर्मचारियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये उन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए बहुत छोटे होते हैं, लेकिन साहूकारों पर निर्भर रहने के लिए अत्यधिक औपचारिक होते हैं।
- ये सहकारिता के सिद्धांतों, अर्थात **पारस्परिक सहयोग तथा "एक सदस्य, एक मत"** के आधार पर कार्य करते हैं।

द्वैध नियंत्रण (Dual Control):

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): बैंकिंग संबंधी विनियमन एवं पर्यवेक्षण।
- राज्य के सहकारी समितियों के निबंधक (Registrar of Cooperatives): सदस्यता, चुनाव तथा सहकारी प्रबंधन से संबंधित विषय।

महत्त्व

- **वित्तीय समावेशन**: शहरी सहकारी बैंक (UCBs) पारंपरिक रूप से छोटे व्यापारियों, स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों तथा परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं का पहला माध्यम रहे हैं, जिन्हें वाणिज्यिक बैंक प्रायः पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देते। इसलिए इनका सुविचारित विस्तार वित्तीय समावेशन को सार्थक रूप से बढ़ा सकता है।
- **क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण**: मार्च 2025 तक सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में 1,457 बैंक थे, जिनकी कुल परिसंपत्तियाँ ₹7.38 लाख करोड़ थीं, किंतु इस क्षेत्र में परिसंपत्तियों एवं जमाओं का वितरण अत्यधिक असमान है।
- केवल 7% शहरी सहकारी बैंकों में ₹1,000 करोड़ से अधिक की जमा राशि है, लेकिन इनके पास कुल जमाओं का 62.5% हिस्सा है। वहीं, आधे से अधिक UCBs, जिनकी प्रत्येक की जमा राशि ₹100 करोड़ से कम है, कुल जमाओं में केवल 5.6% का योगदान देते हैं।
- **विनियामक विश्वास:** पिछले दो दशकों में स्तरीय विनियमन, सुदृढ़ पर्यवेक्षण तथा शासन सुधारों के कारण इस क्षेत्र की स्थिरता बढ़ी है, जिससे आरबीआई को लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का विश्वास मिला है।
- **सहकारी मॉडल पर विश्वास:** लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पुनः प्रारंभ होना, अतीत की विफलताओं के बावजूद सहकारी बैंकिंग मॉडल में संस्थागत विश्वास को दर्शाता है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **उच्च प्रवेश बाधाएँ:** उद्योग से जुड़े हितधारकों का तर्क है कि ₹300 करोड़ की न्यूनतम पूंजी की शर्त अधिकांश वास्तविक सहकारी समितियों को बाहर कर देगी, जिससे वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्रभावित होगा।
- **द्वैध नियंत्रण व्यवस्था:** UCBs को अब भी RBI तथा राज्य के सहकारी समितियों के निबंधक के बीच अधिकार-क्षेत्र के ओवरलैप का सामना करना पड़ता है, जिससे पर्यवेक्षण एवं अनुपालन जटिल हो जाता है।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी कमी:** अनेक सहकारी संस्थानों के पास आधुनिक बैंकिंग एवं नियामकीय अनुपालन के लिए आवश्यक डिजिटल अवसंरचना का अभाव है।

आगे की राह

- **सहकारिता मंत्रालय**–आरबीआई समन्वय: सहकारिता मंत्रालय एवं आरबीआई के बीच एक संयुक्त ढाँचा विकसित किया जाए, जिससे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य और विवेकपूर्ण विनियामक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन स्थापित हो तथा क्षेत्र को परस्पर विरोधी संकेत न मिलें।

- **अम्ब्रेला संगठन को सुदृढ़ बनाना**: अम्ब्रेला संगठन की भूमिका का विस्तार करते हुए उसे तरलता सहायता, प्रौद्योगिकी तथा क्षमता निर्माण में अधिक सक्षम बनाया जाए, ताकि छोटी सहकारी समितियाँ समय के साथ पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकें।
- **जमा बीमा का विस्तार**: पूर्ण आरबीआई लाइसेंस प्राप्त न होने वाली अधिक सहकारी ऋण समितियों को भी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) जैसी सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, ताकि अंतरिम अवधि में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: TH

यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति (NIPU)-2026

सन्दर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति (**National Investment Policy for Urea (NIPU)-2026** को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच घरेलू यूरिया उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना है।

उर्वरक (Fertilisers)

- उर्वरक प्राकृतिक अथवा मानव-निर्मित यौगिक होते हैं, जो पौधों की स्वस्थ वृद्धि, बेहतर फसल उत्पादकता तथा मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध कराते हैं।
- पौधों के तीन प्रमुख पोषक तत्त्व **नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) तथा पोटाश (K)** हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से **NPK** कहा जाता है।

पोषक तत्त्वों के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है:

- **नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक**: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (CAN)
- **फॉस्फेटयुक्त उर्वरक**: डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP)
- **पोटाशयुक्त उर्वरक**: म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP), सल्फेट ऑफ पोटाश (SOP)
- **जटिल/संयुक्त उर्वरक**: इनमें दो या अधिक प्रमुख पोषक तत्त्व होते हैं।

भारत की यूरिया नीति का विकास

राष्ट्रीय निवेश नीति, 2012

- भारत में यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति, 2012 की घोषणा की गई। नए परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु इसमें 2013 तथा अक्टूबर 2014 में संशोधन किए गए।

राष्ट्रीय निवेश नीति, 2012 की उपलब्धियाँ:

- 6 नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए।
- इनमें से 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यम (JVCs) के माध्यम से तथा 2 निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए।
- वर्तमान में 33 यूरिया निर्माण इकाइयाँ संचालित हैं।

स्थापित/पुनर्मूल्यांकित क्षमता (RAC):

- 2014-15: 207.54 लाख मीट्रिक टन (LMT)
- 2026-27: 269.42 लाख मीट्रिक टन (LMT)

2015 का संशोधन:

- यह 25 मौजूदा गैस-आधारित संयंत्रों पर लागू किया गया।
- इससे 2014-15 के स्तर की तुलना में प्रतिवर्ष 20–25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन जुड़ा।

उत्पादन क्षमता:

- 2014-15: 225 लाख मीट्रिक टन
- 2023-24: 314.07 लाख मीट्रिक टन
- 2025-26: 293.30 लाख मीट्रिक टन

उर्वरक सब्सिडी

- किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार बड़े पैमाने पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान करती है।

कुल उर्वरक सब्सिडी:

- 2024-25: ₹1,77,162.06 करोड़
- 2025-26: ₹2,17,281.10 करोड़
- केंद्रीय बजट 2026-27: ₹1.71 लाख करोड़ का प्रावधान।

यूरिया सब्सिडी:

- 2024-25: ₹1,24,319.50 करोड़
- 2025-26: ₹1,42,175.74 करोड़
- पोषक-तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS):
- फॉस्फेटयुक्त उर्वरक: ₹74,999.99 करोड़
- पोटाशयुक्त उर्वरक: ₹52,810 करोड़

जैविक उर्वरक:

- 2024-25: ₹32.56 करोड़
- 2025-26: ₹105.37 करोड़
- सब्सिडी वाले उर्वरकों का वितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण **(DBT) प्रणाली** के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल (PoS) उपकरणों द्वारा

किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों का प्रमाणीकरण **आधार, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), मतदाता पहचान-पत्र तथा अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेजों** से किया जाता है।

यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति (NIPU)-2026 की प्रमुख विशेषताएँ (National Investment Policy for Urea (NIPU)-2026)

- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा**: नई गैस-आधारित यूरिया इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आयातित यूरिया पर निर्भरता कम हो सके।
- **पारदर्शी लागत संरचना:** नीति में स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत को अलग-अलग निर्धारित किया गया है, जिससे पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी।
- **इक्विटी पर सुनिश्चित प्रतिफल (RoE):** इसमें 12% (न्यूनतम) से 16% (अधिकतम) तक का व्यवहार्य प्रतिफल निर्धारित किया गया है, ताकि सार्वजनिक एवं निजी निवेश आकर्षित किया जा सके।
- **विदेशी विनिमय जोखिम में कमी**: चार वर्ष बाद स्थिर लागतों को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निवेशकों के लिए विनिमय दर की अस्थिरता कम होगी।

उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु सरकारी पहलें

एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन (INM)

- यह जैविक खाद, रासायनिक उर्वरकों एवं जैव-उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- इससे उर्वरकों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है, दीर्घकाल में मृदा की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरणीय क्षरण कम होता है तथा सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है।

नैनो यूरिया

- इसे पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- हालांकि, वैज्ञानिक प्रभावशीलता, खेत स्तर पर भिन्न परिणाम तथा किसानों द्वारा सीमित स्वीकृति के कारण इसका उपयोग अभी सीमित है।

सतत एवं हरित कृषि

- फोर्टिफाइड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM), तरल FOM तथा फॉस्फेट-समृद्ध जैविक खाद जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इनका उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2024-25 की तुलना में सात गुना बढ़ गया।

चुनौतियाँ

- **पश्चिम एशिया संकट, एल-नीनो से जुड़ी जलवायु परिस्थितियों** के कारण उर्वरकों की बढ़ती मांग तथा रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग ने यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- **मांग और आपूर्ति के अंतर** को पूरा करने के लिए **आयातित यूरिया पर निरंतर निर्भरता।**
- उर्वरक सब्सिडी के कारण सरकारी राजकोष पर **बढ़ता वित्तीय बोझ।**
- यूरिया के अत्यधिक उपयोग से **पोषक तत्त्वों का असंतुलन तथा मृदा स्वास्थ्य में गिरावट।**
- जैविक एवं **जैव-उर्वरकों का सीमित उपयोग।**
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान** तथा भू-राजनीतिक जोखिम।
- **उर्वरक उत्पादन में अधिक ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता।**

आगे की राह

- घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए NIPU-2026 का शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन (INM) तथा पोषक-तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- जैविक, जैव-उर्वरकों तथा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परिशुद्ध कृषि (Precision Farming) तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाई जाए।
- उर्वरकों के आयात स्रोतों में विविधता लाई जाए तथा रणनीतिक भंडार विकसित किए जाएँ।
- ऊर्जा-कुशल एवं निम्न-कार्बन उर्वरक उत्पादन तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

हेपेटाइटिस से निपटने के लिए की भारत की लड़ाई

चर्चा में क्यों ?

- भारत हेपेटाइटिस से मुकाबले के अपने प्रयासों को व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ कर रहा है। **राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण**

कार्यक्रम का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक** हेपेटाइटिस को **सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त** करना है।

हेपेटाइटिस क्या है?

- हेपेटाइटिस **यकृत (लिवर) की सूजन** है, जो **हेपेटाइटिस विषाणुओं**, अन्य संक्रमणों, अल्कोहल एवं दवाओं जैसे विषैले पदार्थों तथा स्व-प्रतिरक्षी (Autoimmune) रोगों के कारण हो सकती है।
- हेपेटाइटिस विषाणुओं के **पाँच प्रमुख प्रकार** हैं— हेपेटाइटिस **A, B, C, D और E**
- इनमें **हेपेटाइटिस B तथा हेपेटाइटिस C सबसे गंभीर** सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएँ हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक (Chronic) संक्रमण का रूप ले सकते हैं तथा यकृत सिरोसिस (Liver Cirrhosis) और यकृत कैंसर का कारण बन सकते हैं।

संचरण के तरीके, रोकथाम एवं उपचार

हेपेटाइटिस विषाणु	कारण / संचरण	रोकथाम एवं उपचार
हेपेटाइटिस A (HAV)	दूषित भोजन या पानी के माध्यम से मल-मुख मार्ग (Faecal-Oral Route) से संक्रमण। खराब स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल का अभाव।	रोकथाम: सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के उपाय। उपचार: सामान्यतः स्वयं ठीक हो जाता है। सहायक उपचार (पर्याप्त जल एवं पोषण)। कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं।
हेपेटाइटिस B (HBV)	सबसे सामान्यतः जन्म के समय माता से शिशु में संक्रमण। संक्रमित रक्त, रक्त उत्पादों एवं शारीरिक द्रवों के संपर्क से।	रोकथाम: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत हेपेटाइटिस-B टीका (जन्म के तुरंत बाद, अधिकतम 24 घंटे के भीतर; तथा 6, 10 एवं 14 सप्ताह पर)। उपचार: राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र रोगियों में एंटीवायरल दवाओं से दीर्घकालिक हेपेटाइटिस-B का उपचार।
हेपेटाइटिस C (HCV)	असुरक्षित इंजेक्शन एवं चिकित्सीय प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमित रक्त के संपर्क से। संक्रमित सुई/सिरिंज साझा करने से। संक्रमित रक्त, रक्त उत्पादों एवं शारीरिक द्रवों के संपर्क से।	रोकथाम: हानि-न्यूनन उपाय (जैसे सुई विनिमय कार्यक्रम), सुरक्षित इंजेक्शन पद्धतियाँ। हेपेटाइटिस-C से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उपचार: प्रत्यक्ष प्रभावी एंटीवायरल (DAAs) दवाओं के पैन-जीनोटाइपिक उपचार से लगभग सभी रोगी 12–24 सप्ताह में ठीक हो सकते हैं।
हेपेटाइटिस D (HDV)	संक्रमित रक्त, रक्त उत्पादों एवं शारीरिक द्रवों के संपर्क से। संक्रमण केवल कुछ दीर्घकालिक HBV संक्रमित व्यक्तियों में होता है।	रोकथाम: हेपेटाइटिस-B संक्रमण की रोकथाम द्वारा। हेपेटाइटिस-B का टीका हेपेटाइटिस-D से भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।
हेपेटाइटिस E (HEV)	दूषित भोजन या पानी के माध्यम से मल-मुख मार्ग से संक्रमण। खराब स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल का अभाव।	रोकथाम: सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के उपाय। उपचार: सामान्यतः स्वयं ठीक हो जाता है। सहायक उपचार (पर्याप्त जल एवं पोषण)। कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं।

हेपेटाइटिस से मुकाबले की दिशा में भारत के कदम

- भारत में हेपेटाइटिस को एक **सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता** दी गई है। वर्ष **2018 में** सरकार ने इस रोग से निपटने के लिए **राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम** (NVHCP) प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत जाँच एवं उपचार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- यह पहल विभिन्न वायरल रोगों से मुकाबला करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के अनुरूप** है।
- इस कार्यक्रम में **रोकथाम, जागरूकता, निदान एवं उपचार** पर आधारित व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसका उद्देश्य **जागरूकता बढ़ाना, जाँच एवं उपचार तक पहुँच में सुधार** करना तथा **हेपेटाइटिस-B एवं हेपेटाइटिस-C के लिए नि:शुल्क जाँच एवं दवाएँ उपलब्ध** कराना है।
- यह कार्यक्रम **हेपेटाइटिस A, B, C, D एवं E सभी प्रकारों को कवर** करता है। हेपेटाइटिस-A एवं हेपेटाइटिस-E की निगरानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के अंतर्गत की जाती है।

स्रोत: PIB

कॉर्पोरेट मित्र योजना

सन्दर्भ

- भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA), शिलांग ने **कॉर्पोरेट मित्र योजना** के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक वेबिनार आयोजित किया।

कॉर्पोरेट मित्र योजना

- कॉर्पोरेट मित्र योजना **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** की एक पहल है, जिसका संचालन **भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA) द्वारा** किया जाता है।
- इसका **उद्देश्य** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। इसके लिए प्रशिक्षित एवं मान्यता प्राप्त कॉर्पोरेट मित्र (अर्ध-पेशेवर) तैयार किए जाते हैं, जो MSMEs को सुलभ लागत पर व्यावसायिक एवं अनुपालन संबंधी सहायता प्रदान करेंगे।
- यह योजना विशेष रूप से **टियर-2 एवं टियर-3** शहरों को लक्षित करती है, जहाँ एमएसएमई के लिए पेशेवर परामर्श सेवाओं की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है।
- प्रथम चरण में देशभर के 2,000 **प्रतिभागियों को प्रशिक्षित** किया जाएगा, जिनमें **पूर्वोत्तर** क्षेत्र के **200 अभ्यर्थी भी शामिल** होंगे। इन्हें **पाठ्यक्रम शुल्क में 50% की रियायत** प्रदान की जाएगी।

स्रोत: PIB

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) का डार्क वेब पर डेटा लीक

चर्चा में क्यों ?

- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) पर एक साइबर हमला हुआ, जब उसके एक कर्मचारी का ई-मेल खाता समझौता (Compromise) हो गया। इसके परिणामस्वरूप कथित रूप से लगभग 1 टीबी ग्राहक एवं कॉर्पोरेट बैंकिंग डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया।

क्या आप जानते हैं?

वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) को व्यापक रूप से **तीन भागों** में विभाजित किया जाता है—

- **सरफेस वेब (Surface Web):** इसमें सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध वेबसाइटें होती हैं, जिन्हें **गूगल** जैसे सर्च इंजन के माध्यम से आसानी से खोजा जा सकता है।
- **डीप वेब (Deep Web):** इसमें ऐसी सामग्री होती है जो सर्च इंजनों द्वारा सूचीबद्ध नहीं होती, जैसे **निजी डेटाबेस, सरकारी एवं कॉर्पोरेट इंट्रानेट** तथा **पासवर्ड-संरक्षित रिसोर्सेस।**
- **डार्क वेब (Dark Web):** यह डीप वेब का छिपा हुआ भाग है, जहाँ पहुँचने के लिए **Tor (The Onion Router) या I2P (Invisible Internet Project)** जैसे विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो उपयोगकर्ताओं को उच्च स्तर की गुमनामी प्रदान करते हैं।

डार्कवेब

- यह इंटरनेट का वह भाग है जिसे **जानबूझकर छिपाया गया है** और जिसे सामान्य सर्च इंजन या ब्राउज़र द्वारा नहीं खोजा जा सकता।
- इसमें प्रवेश के लिए **Tor या I2P जैसे विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता** होती है, जो **एन्क्रिप्टेड ओवरले नेटवर्क का उपयोग** करके उपयोगकर्ताओं एवं वेबसाइट संचालकों की पहचान को काफी हद तक गुप्त रखते हैं।
- डार्क वेब में **ऑनियन रूटिंग (Onion Routing)** तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें इंटरनेट ट्रैफिक को कई परतों में एन्क्रिप्ट कर स्वयंसेवकों द्वारा संचालित विभिन्न रिले नोड्स से होकर भेजा जाता है। इससे कोई भी एक नोड डेटा के स्रोत एवं गंतव्य दोनों की जानकारी नहीं रखता।
- **हिडन सर्विसेज (Hidden Services)** सर्वरों के वास्तविक स्थान को भी छिपाती हैं।

अनुप्रयोग

वैध उपयोग:

- गोपनीयता की सुरक्षा, सेंसरशिप से बचाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों, व्हिसलब्लोअरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं व्यवसायों के लिए सुरक्षित संचार तथा संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ भी डार्क वेब का उपयोग निगरानी, गुप्त अभियानों, गुमनाम सूचना तंत्र तथा साइबर अपराधों की जाँच के लिए करती हैं।

अवैध उपयोग:

- डार्कनेट बाजारों में अवैध मादक पदार्थों, जाली दस्तावेजों, चोरी किए गए वित्तीय डेटा, हैकिंग उपकरणों, मैलवेयर, साइबर अपराध सेवाओं तथा अन्य अवैध वस्तुओं का व्यापार।
- इन लेन-देन में प्रायः बिटकॉइन एवं मोनेरो जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता है।

स्रोत: TH

वर्ष 2031-32 तक एआई डेटा केंद्रों से 26.3 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत भार: विद्युत मंत्रालय

सन्दर्भ

- विद्युत मंत्रालय ने संसद को बताया कि **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्र** वर्ष **2031-32** तक विद्युत ग्रिड पर **26.3 गीगावाट (GW) का अतिरिक्त भार** डालेंगे।

परिचय

- इस अतिरिक्त विद्युत भार को **राष्ट्रीय ग्रिड में समाहित** किया जाएगा तथा इसकी आपूर्ति मुख्यतः **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के माध्यम** से की जाएगी।
- यह नया अनुमान सरकार के मार्च 2026 के पूर्व अनुमान से लगभग दोगुना है, जिसमें **वर्ष 2031-32 तक डेटा केंद्रों से 13.56 गीगावाट** बिजली की मांग का अनुमान लगाया गया था।
- **डेटा केंद्र** एक भौतिक कक्ष, भवन अथवा सुविधा है, जहाँ **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना** स्थापित की जाती है, ताकि अनुप्रयोगों एवं सेवाओं का निर्माण, संचालन तथा वितरण किया जा सके।
- यह उन अनुप्रयोगों एवं सेवाओं से संबंधित डेटा का भंडारण एवं प्रबंधन भी करता है।

भारत में डेटा केंद्र

- आने वाले वर्षों में भारत में डेटा केंद्र क्षमता में तीव्र वृद्धि होने की संभावना है।
- **वर्ष 2020** में जहाँ डेटा केंद्रों की क्षमता केवल **375 मेगावाट (MW)** थी, वहीं **2025 तक यह बढ़कर लगभग 1.5 गीगावाट (GW)** हो गई।
- **वर्ष 2030** तक **भारत की परिचालन डेटा केंद्र क्षमता लगभग 40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** के साथ बढ़कर **12 गीगावाट (GW) होने का अनुमान** है।
- इसी अवधि में AI-समर्पित डेटा केंद्र क्षमता लगभग **24 गुना** बढ़ने की संभावना है, जो 275 मेगावाट से बढ़कर 6,546 मेगावाट तक पहुँच सकती है।
- हाइपरस्केल क्लाउड प्रदाताओं, उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के कारण कंप्यूटिंग अवसंरचना की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।

स्रोत: IE

Kimi K3

सन्दर्भ

- चीन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप Moonshot AI ने अपने AI चैटबॉट के लिए नए सदस्यता पंजीकरण (Subscriptions) अस्थायी रूप से रोक दिए हैं, क्योंकि हाल ही में लॉन्च किए गए Kimi K3 मॉडल की अत्यधिक मांग के कारण उपलब्ध GPU कंप्यूटिंग क्षमता समाप्त हो गई।

Kimi K3 क्या है ?

- Kimi K3 एक नया **लार्ज लैंग्वेज मॉडल** (LLM) है, जिसे चीन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप मूनशॉट एआई(Moonshot AI)द्वारा विकसित किया गया है।
- इसने कोडिंग तथा तर्क क्षमता (Reasoning) से संबंधित मानकों पर अग्रणी स्तर का प्रदर्शन किया है। कई कार्यों में इसके परिणाम ओपन एआई(OpenAI) एवं एंथ्रोपिक (Anthropic) द्वारा विकसित प्रमुख एआई मॉडलों के तुलनीय पाए गए हैं।
- इस मॉडल को ओपन-वेट (Open-Weight) मॉडल के रूप में जारी किए जाने की संभावना है, जिससे डेवलपर इसे डाउनलोड करके अपने स्थानीय सिस्टम पर चला सकेंगे।

ओपन-वेट (Open-Weight) AI मॉडल क्या हैं?

- ओपन-वेट AI मॉडल वह मॉडल होता है, जिसके **प्रशिक्षित मानदंड (Weights) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिए जाते हैं।**

विशेषताएँ:

- डेवलपर मॉडल को डाउनलोड, संचालित (Run), फाइन-ट्यून (Fine-Tune) तथा आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकते हैं।
- यह मॉडल डेवलपर की क्लाउड सेवा पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय निजी अवसंरचना (Private Infrastructure) पर भी संचालित किया जा सकता है।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs)

- लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एक प्रकार का एल्गोरिदम है, जो **डीप लर्निंग तकनीकों** तथा अत्यधिक बड़े डेटा-समूहों का उपयोग करके सामग्री को समझने, सारांशित करने, उत्पन्न करने तथा नई सामग्री का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होता है।
- डीप लर्निंग में असंरचित (Unstructured) डेटा का संभाव्य (Probabilistic) विश्लेषण किया जाता है, जिससे मॉडल बिना मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न प्रकार की सामग्री के बीच अंतर पहचानना सीखता है।
- यह मॉडल अक्षरों, शब्दों एवं वाक्यों के परस्पर संबंध तथा उनके संयुक्त कार्य करने के तरीके को समझने में सहायता करता है।

स्रोत: IE

■■■■

NEXT IAS